बिहार विधान सभा के लिए ध्यानाकर्षण सूचना	
श्री अश्विनी कुमार चौबे, मा0स0वि0स0 / श्री रामायण मांझी, मा0स0वि0स0 एवं श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना सं0–37 / 13 के संबंध में।	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
ध्यानाकर्षण	**उत्तर**
"विगत छः माह पूर्व उत्तराखंड भीषण त्रासदी में राज्य के सैकड़ों लोग कालकवलित हुए थे। उनका न तो अबतक मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है और न ही मुआवजा राशि दी गई है। मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय की भी सरकार द्वारा अनदेखी की गई है। मेरे व्यक्तिगत प्रयास से कुछ जिलों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। लेकिन अधिकांश जिलों में स्थिति नगण्य है। मेरे साथ गये चार कर्मी जो सरकारी कार्य के दौरान कालकवलित हुए थे तथा इस त्रासदी में राज्य के ऐसे लोग जो मृत हो चुके है एवं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने के कारण बैंक परिचालन बाधित है तथा जीवन बीमा सहित नौकरी एवं अन्य लाभ से उनके परिजन वंचित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिहार के तीन लोगों की जो वहां रहते थे तथा कालकवलित हुए थे, परिजनों को तीन माह पूर्व मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। जबकि राज्य सरकार इस अति गंभीर विषय पर मौन है। अतएव, राष्ट्रहित एवं राज्यहित में इस त्रासदी में कालकवलित हुए लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने, परिजनों को मुआवजा एवं नौकरी हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है। "	उत्तराखंड त्रासदी में बिहार राज्य के लापता /मृत 80 व्यक्तियों की सूची दो चरणों में उत्तराखंड सरकार को भेजी गई है। जिसमें से 41 व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण–पत्र उत्तराखंड सरकार से प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 39 व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण–पत्र संबंधितों को हस्तगत कराने हेतु जिलों को भेजा जा चुका है, शेष 2 व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण–पत्र को भेजने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है। अभी तक उत्तराखंड सरकार द्वारा तीन चरणों में कुल 41 व्यक्तियों के आश्रितों के लिये 3,50,000/–रू0 (तीन लाख पचास हजार) प्रति व्यक्ति की दर से 1,43,50,000/–रू0 (एक करोड़ तेतालीस लाख पचास हजार) विभाग को प्राप्त हुये है। जिसमें से 1,36,50,000/–रू0 (एक करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार) संबंधित जिलों को भेज दिया गया है। इन 41 मृत व्यक्तियों के निकट आश्रितों को विभागीय संकल्पके अनुरूप 1–1 लाख रू0 कुल 41 लाख रू0 अनुग्रह अनुदान की राशि जिलों को विभागीय पत्रांक–109(स0अनु0) दि0–13.09.13 एवं 112(स0अनु0) दि0–18.02.14 के द्वारा भेज दिया गया है । शेष व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अनुग्रह अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड सरकार से निरंतर संपर्क बनाकर प्रयास किया जा रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–2881 दिनांक–12.07.2013 के अनुरूप अभी तक राज्य के 3 जिलों यथा सहरसा, भागलपुर एवं सिवान द्वारा अधियाचित कुल बारह (8) व्यक्तियों के लिये 1,00,000 (एक लाख) रूपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल 8,00,000/– (आठ लाख) का अनुग्रह अनुदान जिलों को दिया गया है। श्री अश्विनी कुमार चौबे, मा0स0वि0स0 के साथ उत्तराखंड गये 3 सरकारी कर्मियों में से 1 कर्मी स्व0 अजय कुमार मिश्रा का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं अनुग्रह अनुदान की राशि जिला पदाधिकारी, बक्सर को विभागीय पत्रांक 421 दिनांक–03.02.2014 द्वारा भेज दिया गया है। शेष दो कर्मी स्व0 देवेन्द्र प्रसाद सिंह, एवं फुलन ओझा का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं उत्तराखंड से प्राप्त 3.5 –3.5 लाख रू0 की अनुग्रह अनुदान की राशि संबंधित जिलों को भेजने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0ध्या0–2/2014/........................../आ0प्र0, पटना–15, दि0–

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक –43 दि0–4.01.2014 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक –04/वि0स0ध्या0–2/2014/ 812 /आ0प्र0, पटना 3/3/14

प्रतिलिपि सुश्री कवित्रा कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

3/3/14
विशेष कार्य पदाधिकारी

\\Pc22-pc\d\2014\yojna 2014\vidhan dhanakarshan qu as.docx 11-2-14.docx